FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

नाजम सिंह बनाम जगमीत सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 04 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025 / 89

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.2025	प्रार्थी नाजम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 29 एच के खाता संख्या 22/21 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 0.060 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	
2/04/25	आज यह पत्रावली वादगत भूमि के संबध में प्र.स. 09/2025 अनवान जसकरण सिंह बनाम नाजम सिंह, अन्तर्गत धारा 251(A) RTA प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। कैवियटकर्ता अधिवक्ता को प्र.स. 09/2025 मे सुना गया। पत्रावली निर्णीत होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)